

क्रीकाराम बनाम देवीशम

किस्म मुकदमा 21/1 नं. 26/12 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
-------------	----------------------------------	--

28/6/10

आज यह प्रत्यक्ष शपथ लेने के बाद
 कोर्ट के सामने आपकी दावा के मुताबिक
 नं 2 में प्लॉट इन्फ्रिंगिंग काट के मालिक
 की गन्ती। पूर्व में ही फ्लोरिंग हेतु तहसीलदार
 के लिखित आदेश दिए जा चुके हैं। राज्य
 सरकार की ओर से आपकी दावा पर कार्यवाही
 गलत है फ्लोरिंग प्रस्ताव नकार देते हैं।
 प्रस्ताव वापस लिये जा के अफिलेवक
 नये फ्लोरिंग इकाएँ बनाये जायेंगी।
 फ्लोरिंग प्रस्ताव उन्नीस दिनों के अन्दर
 समझते हैं।

आज्ञा की जाती है कि राजाखेड़ा
 मुताबिक फ्लोरिंग प्रस्ताव इस प्रकार से
 आदिम रूप में उन्नीस दिनों के अन्दर
 कि प्रतिवादी नं 2, श्री शिवान प्रसन्न रामभास्कर
 पाठे शास्त्री शास्त्री के लिखित में हा० ख० नं
 2747/1 शक्य 06 बिल्डिंग 2776 शक्य 06 बिल्डिंग
 2778 शक्य 04 बिल्डिंग, 2881/1 शक्य 18 बिल्डिंग
 3957/1 शक्य 09 बिल्डिंग, 3958 शक्य 04 बिल्डिंग,
 3962/1 शक्य 05 बिल्डिंग प्रत्यक्ष फ्लोरिंग 6 प्रत्यक्ष शक्य
 2 वीथी 06 बिल्डिंग स्विट गृहम भद्रद्वार नं 2 रेडिंग,
 तहसील, प्रस्तावित नं 1 देवीशम प्रसन्न सुमनो पाठे
 शा० शास्त्री के लिखित में हा० ख० नं 2747/1 शक्य
 08 बिल्डिंग, 2881/2 शक्य 06 बिल्डिंग, 3962/2 शक्य
 09 बिल्डिंग प्रत्यक्ष फ्लोरिंग 3 प्रत्यक्ष शक्य 01 बिल्डिंग 03 बिल्डिंग
 स्विट गृहम भद्रद्वार नं 2 रेडिंग तहसील वादिगण
 आगे प्रस्ताव, दीराखेड़ा, रामभास्कर, श्रीकांत, इरीकांत
 प्रस्ताव वापस लिये जा के अफिलेवक नये फ्लोरिंग के लिखित में

उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (धौलपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
----------------	----------------------------------	---

आबकानं 2747/2 रक्का 13 विल्व, 2879
 रक्का 02 विल्व, 3957/2 रक्का 04 विल्व
 3962/3 रक्का 04 विल्व कुल फिटान्प
 कुल रक्का 01 विल्व 03 विल्व स्थिर 2516
 भइद्वार नं 2 की 21 विल्व 3 परेशानुभव
 शाल्व रिफार्म वाफिगण एव शरिवाफिगण
 के धुपक धुपक रक्का आबकानु रिफार्म
 के कामे दिये जाते हैं। फर्क दिवा जाये
 हैं। रिफार्मानुभव एवम फेरफेरके फेरफेरके
 फेरफेरके फेरफेरके फेरफेरके फेरफेरके
 डाकिल रक्का का हुक्म सुनाया
 गया।


उपखण्ड अधिकारी
 राजाखेड़ा (बीलपुर)